# कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582–241046, फैक्स : 01582–246175, ईमेल : dcf.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ ( )तक / उवसं / 2017–18 / 4874 दिनांक : 15.11.2017

निमित्त :

परियोजना निदेशक (पी0पी0पी0),
लोक निर्माण विभाग,
जयपुर राजस्थान

विषय : **Diversion of 74.598 ha. Foret land for dovelopment of Tarnau-didwana-laxmangarh-mukundgarh road section of SH-60 from km 39.668 to km 205.300 district Nagaur (Raj.)**

संदर्भ : **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 574 दिनांक 06.11.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार ने तरनाऊ से मुकुन्दगढ़ में रोड के चौडाईकरण हेतु सड़क के निर्माण हेतु 74.598 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति शर्तोधीन प्रदान की है अतः शर्तो अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर पालना भिजवाना सुनिश्चित करावें :–

1. बिन्दु संख्या 2 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 149.196 है.(74.598X2=149.196) है. पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 1,92,46,284रू.(एक करोड़ बरानवे लाख छीयालीस हजार दौ सौ चौरासी रूपये मात्र) राशि संलग्न प्राकल्लन अनुसार जमा करावे।
2. बिन्दु संख्या 4 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) राशि 3,26,73,924रू.(तीन करोड़ छब्बीस लाख तहत्र हजार नौ सौ चौबीस रूपये मात्र)राशि संलग्न प्रपत्र अनुसार जमा करावे।

   उक्त दोनों बिन्दुओं की शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं दूसरी सभी निधियो प्रतिपर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–11003 के तदर्थ लेखा संख्या **CAF Rajasthan SB01025225** में वैबपोर्टल **OSMFWP** पर सृजित ई–चालान के माध्यम से जमा करवाकर जमा राशि की पावती की प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (धनराशि का मदवार विवरण अर्थातृ एन.पी.वी./क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया हो) भिजवावे।

   उक्त के अलावा सैद्धांतिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1, 5 से 10 की बिन्दुवार पालना सैद्धांतिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक,
नागौर

क्रमांक : सम/ 4875–76 दिनांक : 15.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(FCA) राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक,
नागौर

D:\DCF Office\Ashu\DFO, All Letter\FCA\tarnau-mukundgarh.docx

# कार्यालय उप वन संरक्षक, वन भवन, सांवली रोड, सीकर 332001

क्रमांक एफ ( ) एफसीए / उवसंसी / 2016 / 18594 दिनांक 13-11-17

**निमित:–** परियोजना निदेशक–II (पीपीपी),
सावर्जनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

**विषयः–** Diversion of 84.248 ha. (74.598 ha. in Nagaur and 9.65 ha. in Sikar) of forest land in favour of Exective Engineer-II PPP cell PWD Jaipur for development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh Section of SH 60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8 from desing chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 km. to 205.300 km. in Nagaur and Sikar District (Rajasthan).

**संदर्भः–** वन संरक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र संख्या 8बी / राज. / 06 / 22 / 2017 / एफसी / 574 दिनांक 06.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में वन संरक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र संख्या 8बी / राज. / 06 / 22 / 2017 / एफसी / 574 दिनांक 06.11.2017 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनकी बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करावेः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शर्त की पालना में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे।

2. शर्त संख्या 3 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षैत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु 9.65 है0 **X** 155000 प्रति है0 की दर से आवश्यक धन राशि 1495750 /– रूपये कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करवाकर ऑनलाईन ई–रसीद प्रस्तुत करावे। प्रस्तावित गैर वन भूमि का हस्तान्तरण व नामान्तरण वन विभाग के नाम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत करे।

3. शर्त संख्या 4 की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के रिट पीटिशन (सिविल) 202 / 1995 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 एफसी दिनांक 06.02. 2009 में दिये गये आदेशानुसार 9.65 है0 x 626000 रूपये प्रति है0 की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) राशि 6040900 /– रूपये कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करवाकर ऑनलाईन ई–रसीद प्रस्तुत करावे।

4. शर्त संख्या 5की पालना में यह वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी.की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवायी जायेगी।

5. शर्त संख्या 6 की पालना में प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक **Backword and forword bearing** एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी। विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने पर यूजर एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर उक्त पीलर निर्माण की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे।

6 शर्त संख्या 7 की पालना इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करें कि आई.आर.सी. के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एन.जी.टी.) सेन्ट्रल जॉन बेंच, भोपाल

द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या –27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.15 (प्रति संलग्न) में दिए गए आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा मिडीयन पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

7. शर्त संख्या 8 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत करवाकर प्रस्तुत करावे।

8. शर्त संख्या 9 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना करने सम्बन्धी वचनबद्धता–पत्र प्रस्तुत करावे। भविष्य में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में वृद्धि होती है तो अन्तर राशि जमा करानी होगी। इसकी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

इस प्रकार शर्त संख्या 2 व 3 की पालना में मांग अनुसार कुल राशि 7536650/– रूपये कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करवाकर ऑनलाईन ई–रसीद की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

**भवदीय**

उप वन संरक्षक,
सीकर

क्रमांकःसम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, अरण्य भवन, जयपुर ।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर ।
3. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय, कार्य मण्डल, जयपुर को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षैत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज. /06/22/2017/एफसी/574 दिनांक 06.11.2017 की स्वीकृति की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि संलग्न सूची अनुसार 738 पेडो की नीलामी हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करावें।
4. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी सीकर/लक्ष्मणगढ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जब तक यूजर एजेन्सी द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो की पालना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब तक वन भूमि में कोई गैर वानिकी कार्य नहीं हो, यह सुनिश्चित करे।

उप वन संरक्षक,
सीकर